



INDIA NON JUDICIAL




Government of Uttar Pradesh



e-Stamp

Certificate No.	IN-UP18E2800401706N
Certificate Issue Date	21-Sep-2023 10:26 AM
Issuing Reference	SEMACC (081) 2023/07/17/REGISTRATION/UP-088
Issued On Reference	BLRIN-UP18E2800401706N/08/08/2023
Forwarded to	JAWAHAR PRASAD DUBEY PRESIDENT JAI DURGA SEWA SAM.
Description of Document	Stamp & Affidavit
Property Description	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	JAWAHAR PRASAD DUBEY PRESIDENT JAI DURGA SEWA SAM
First Party	Not Applicable
Second Party	JAWAHAR PRASAD DUBEY PRESIDENT JAI DURGA SEWA SAM
Stamp Duty Paid By	Not Applicable
Stamp Duty Amount(Rs.)	₹00 (One Hundred only)



Jawahar Prasad Dubey
 I am identified by *[Signature]* who is known to me and I am satisfied that an understands the facts mentioned in the Affidavit / Declaration which is made and / Administered with in my presence.



[Signature]
 Notary Public

[Signature]
 2 Ticket Rs. 10-00
 Jawahar Prasad Dubey
 Notary-Secretary

(प्रारूप - 2) जारी है

हम जवाहर प्रसाद दूबे (नाम अन्वेषक) एवं रीतेन्द्र कुमार दूबे (नाम सचिव) कमार: अन्वेषक एवं सचिव जय दूर्गा सेवा समिति (सोसाइटी/ट्रस्ट का नाम एवं पता) धौलखल सोनमद राज्यव्यवहार निगमवत् बयान करते हैं-

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा आज भी कालेज आर फार्मेसी (संस्था का नाम एवं पता) जयमोहरा, परसडा, धौलखल सोनमद नामक विप्लोम इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सन् 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी /ट्रस्ट के नाम जयमोहरा, परसडा, धौलखल सोनमद (जय जडा पर भूमि सिता है) से गाटा संख्या 43 एवं 1,085 हे०, प्लॉट 4 बीघा 4 बिसवा 3 घूर कमार: एवं 1,085 हे० हेक्टर (कुल प्लॉट 4 बीघा 4 बिसवा 3 घूर 1,085 हे० हेक्टर) भूमि



[Signature]

3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का काई भी चाद किन्ती भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद खतम है।
4. यह कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम सम्बन्ध भूमि के माटा संख्या आता जी नः 43 एवं 1,085 सेः संख्या 4 बीधा 4 बिस्या 3 पूर फगरा आरा जीः नः 43 सेः एवं 1,085 सेः हेक्टियर (कुल संख्या 4 बीधा 4 बिस्या 3 पूर 1,085 हेक्टियर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन कॉमर्सी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक, 01/07/2022 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रस्तावित डिप्लोमा कॉमर्सी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर कॉमर्सी कार्यालय ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा कॉमर्सी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि, इस संस्था में कॉमर्सी कार्यालय ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध फाउण्डेशन एवं प्रवेश समता के अनुसार ही फाउण्डेशन में प्रविष्टान प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में कॉमर्सी कार्यालय ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, कच्छा लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं फाउण्डेशनों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/ महाविद्यालय/आईसीआईआर आदि का संचालन न हो पूर्व में कमी किया गया है, और न ही भविष्य में कमी किया जायेगा।

10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं के लिए जो कॉमर्सी कार्यालय ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के नियमों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक वित्तीय एवं अर्थव्यवस्था की लेगाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सब प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का पालन करेगा। यदि, यदि संस्थान में किसी भी समय सख्तीय निरीक्षण में मानकानुसार काई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं

मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

13. मैं घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी सूचीयता सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख / दस्तावेज कहीं कूटस्थित अथवा नुस्तिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकती है। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होंडूँगा।

हउ सचिव

हउ अध्यक्ष



जि. शर्मा उभाय